

दिनांक 10/न4-12/2002 दिनांक 108
तेकेन्डी, प्राथमिक एवं व्यवस्था शिक्षा विभाग, विहार

प्रेषक

श्री एम० दास
विशेष निदेशक।मा०।दि०।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी एजुकेशन,
शिक्षा केन्द्र, कम्प्यूनिटी सेन्टर, प्रीत विहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ तेकेन्डी एजुकेशन,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के
संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए
कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र
निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए
निर्णय के आलोक में निम्नलिखित विद्यालयों को सी०बी०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्ध
सम्बद्धता/मान्यता हेतु शर्तों के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें
सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर
कर्मियों के समकक्ष वेतनादि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को
करना होगा :-

- 111 शाताब्दी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया
- 121 ए०ए०एम० चिल्ड्रेन्स स्केडमी, कटिहार
- 131 ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़गंज, केन्ट सरिया, गया
- 141 तीहीट स्केडमी, तीहीटनगर, पश्चिम पाली, किशनगंज
- 151 न्यू एरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजवल्ली, पीपलपाती रोड, मुंगेर
- 161 डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, डिहरी, रोहतास
- डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, शोरपाटी, गया
- ए०आर०डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, पूर्णिया
- 191 सीताराम डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी
- 101 कमला नेहरू शिक्षा विहार उच्च विद्यालय, सदाकत आश्रम, पटना
11. डॉ० मैत्राविणी योगिनी तेकेन्डी स्कूल, गुण्डी, भीजपुर, आरा



Principal
NEW ERA PUBLIC SCHOOL
Pipalpanti Road, Munger

1 पी०टी०आ०।

SECRETARY
NEW ERA PUBLIC SCHOOL
PIPALPANTI ROAD
MUNGER

12. स्कूल ऑफ किरटिव लर्निंग, नरगटा, दानापुर, पटना
- 2- इसकी सूचना सर्वधिक विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।
 - 3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

रु. —

रम0 दास।

विशेष निदेशक। माध्यमिक शिक्षा।

क्रमांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04
 प्रतिलिपि सर्वधिक जिला पदाधिकारी/सर्वधिक क्षेत्रीय शिक्षा उप
 निदेशक/सर्वधिक जिला शिक्षा पदाधिकारी/सर्वधिक विद्यालय के प्राचार्य को सूचना
 एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित।

2. शैक्षिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष का निरीक्षण किया जायेगा।
 3. एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।
- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
 निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक विलम्ब किया जा रहा हो।

ख। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वस्तुस्थिति से भिन्न होने पर,

ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जितने मदों के लिए राशि की व्यवस्था हो उतना दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो।

घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो, जिससे समाज के विभिन्न सोसायटी के बीच कटुता पैदा हो,

च। सी0बी0एस0ई0 मापटंड के अनुसूच भवनों में सी0बी0एस0ई0 मापटंड के अनुसूच छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

रम0 दास।
 विशेष निदेशक। माध्यमिक शिक्षा।

विशेष निदेशक। माध्यमिक शिक्षा।

क्रमांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04
 प्रतिलिपि सर्वधिक/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विहार को सूचना प्रेषित।

विशेष निदेशक। मा0 शि0।

SECRETARY
 NEW ERA PUBLIC SCHOOL
 PIPALPANTI ROAD, MUNGER

क्रमांक 108 पटना, दिनांक 28-2-04
 प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को सूचना प्रेषित।

Principal
 NEW ERA PUBLIC SCHOOL
 Pipalpanti Road, Munger

विशेष निदेशक। मा0 शि0।